# राजस्थान सरकार
# राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक प–16(1)राम/निरी/99/4562–4656 दिनांक 13.08.99

1. सहायक जिला कलक्टर (समस्त)
2. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
   राजस्थान

विषय :– राजस्व न्यायालयों द्वारा लगायी जाने वाली लोक अदालतों संबधी प्रक्रियॉ

राजस्व न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों मे निरन्तर वृद्धि राज्य सरकार के लिये चिंता का विषय है। इन न्यायालयों मे लंबित मामलों के निस्तारण मे विलम्ब होने से ग्रामीणों के लिये न्याय प्राप्ति का उद्‌देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः राजस्व न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों के निस्तारण को गति प्रदान करने के लिए प्रारम्भ में सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी न्यायालयों द्वारा लोक अदालत आयोजित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इन न्यायालयों द्वारा लोक अदालतें आयोजित करने के संबंध मे निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते है :–

(1) प्रत्येक सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रारम्भतः माह मे द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार, लोक अदालतों के आयोजन के लिये आरक्षित रखे जायें। द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार को अवकाश होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की संभावना की दशा मे इस हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित किया जा सकता है।

(2) राजस्व वादों के निस्तारण के संबधं में राजस्व मण्डल स्तर से दिनांक 16.2.99 को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया है, इसमें उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर से कैम्प कोर्ट लगाकर वादों को निर्णित करने के निर्देश दिये गये है। जिन कस्बों, बड़े गावों मे वाद अधिक संख्या मे लंबित है वहां पर केम्प कोर्ट कर लोक अदालतों के माध्यम से वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जावे।

(3) पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करने के लिए रखा जाना चाहिये जिनमें पक्षकारों में समझौता होने की संभावना हो। उदाहरण स्वरूप लोक अदालत के लिये निम्न प्रकार के मामलें रखे जा सकते हैः–

   1. नामान्तरकरण संबंधी मामलें।
   2. भूमि विभाजन संबंधी मामलें।

3. भू–प्रबन्ध से संबंधित इन्द्राजात दुरूस्त के मामलें
4. धारा 136 भू– राजस्व से संबंधित प्रकरण
5. धारा 183 (बी) काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी मामलें।
6. राज्य सरकार एवं निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन विवाद
7. सीमा व रास्ते संबंधी मामलें
8. एक ही कुटुम्ब व सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण

नोटः राजस्थान के सभी जिलों मे नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर सुधार न्यास क्षेत्रों एवं जयपुर मे जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र मे स्थित राजस्व भूमि का लोक अदालत के माध्यम से केसेज निर्णित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

(4) पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. यह सुनिश्चित किया जावे कि लोक अदालत के दिन समय पर संबंधित समस्त पक्षकार, अभिभाषक एवं सलाहकार/मध्यस्थों के पैनल मे अंकित सदस्य आवश्यक रूप से लोक अदालत मे उपस्थित हों तथा इसके लिये समुचित तामील सुनिश्चित की जाये। नोटिस तामील का प्रारूप संलग्न है।
2. पीठासीन अधिकरी द्वारा किसी प्रकरण को लोक अदालत के लिये सुनिश्चित करते समय ही पक्षकारों एवं उनके अभिभाषकों को यह अवगत करा दिया जावे कि पक्षकार लोक अदालत मे समझौते हेतु मानसिक रूप से तैयारी के साथ उपस्थित हो।
3. लोक अदालत के लिये निश्चय किये गये समस्त प्रकरण का स्वयं पीठासीन अधिकारी को गहन अध्ययन करना चाहिये ताकि निर्णय हेतु प्रकरण के मुख्य विवाद बिन्दुओं एवं तथ्यों एवं कानूनी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सके एवं समझौता कराने में विभिन्न पहलुओं पर पीठासीन अधिकारी के दृष्टिकोण एवं प्रभाव का वांछित उपयोग संभव हो सके।
4. संबंधित पक्षों के अभिभाषकगण एवं सलाहकार समिति के सदस्यों से आग्रह किया जाना चाहिये कि वे वास्तविक विवादित बिन्दुओं की पहचान कर न्यायोचित हल की तैयारी के साथ समझौते मे भाग लें।
5. निर्धारित दिवस को मामलों की संख्या अधिक होने की दशा मे समझौते के लिये मध्यस्थता/सलाह हेतु दो या अधिक पैनल बनाये जा सकते है एवं इनके बैठने के लिए यदि न्यायालय कक्ष कम पड़े तो पीठासीन अधिकारी के कक्ष का उपयोग भी किया जा सकता है।
6. सलाहकार/मध्यस्थों का पैनल स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा। ऐसे पैनल मे न्यायालय क्षेत्र मे निवास करने वाले निम्नांकित व्यक्तियों को रखा जा सकता है।
    1. ऐसे अधिवक्तागण जो पक्षकारों से संबंधित नहीं है एवं प्रकरणों के कानूनी एवं तथ्यों के संदर्भ मे समुचित कानूनी सलाह एवं योगदान प्रदान करने हेतु इच्छुक हों।
    2. ऐसे शिक्षाविद् जिनकी इस कार्य मे रूचि हो।

3. ऐसे सेवानिवृत्त अथवा सेवारत अधिकारी कर्मचारी जिनकी भूमिका सार्थक व सहायक हो।
4. ऐसे सामाजिक कर्यकर्ता जो सार्थक एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकें।
5. महिला सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् ।
6. न्यायालय के क्षैत्राधिकार अथवा विवाद से संबंधित ग्राम एवं पंचायत क्षेत्र के प्रतिष्ठित, निष्पक्ष व्यक्ति जो पक्षकारों में समझौता कराने में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकें।

   नोट : सलाहकार/मध्यस्थ जो नियुक्त किया जावे वे निष्पक्ष व ज्ञानविद् हो। क्षेत्र मे पर्याप्त संख्या मे सलाहकार/मध्यस्थ उपलब्ध न हो तो मध्यस्थों की संख्या तीन भी हो सकती है।
7. लोक अदालत के माध्यम से समझौता हो जाने पर संलग्न प्रारूप में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामें को लेखबद्ध किया जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया जाये एवं राजीनामे के आधार पर वर्तमान कानून के दायरे में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जायें।
8. प्रत्येक माह मे लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये गये मामलों की सूचना अगले माह की सात तारीख तक राजस्व मण्डल को भेजी जाये तथा प्रत्येक त्रैमास की सूचना त्रैमास की समाप्ति के पश्चात 15 दिन की अवधि में राजस्व मण्डल को प्रेषित की जाये।
9. जिलों मे लोक अदालतों के माध्यम से राजस्व मामलों के निस्तारण मे आशातीत सफलता की दशा में समारोहपूर्वक अदालतों का आयोजन किया जाना श्रेयस्कर होगा। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार लोक अदालतें प्रत्येक माह मे द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार को आयोजित की जानी है किन्तु आगामी लोकसभा चुनावों की अवधि के दौरान सोमवार दिनांक 27.9.99, 11.10.99 व 25.10.99 को लोक अदालतों का निश्चित रूप से आयोजन किया जाये। इसके अतिरिक्त माह सितम्बर व अक्टूबर 99 मे प्रारम्भ से ही पूर्ण तैयारी के साथ एक अभियान चलाया जाकर लोक अदालतों के माध्यम से अधिकाधिक वादों का निस्तारण किया जाये।

लोक अदालतों की सफलता अन्ततोगत्वा पीठासीन अधिकारी की प्रभावी भूमिका पर ही निर्भर करेगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा लोक अदालतों मे रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध मे सभी विवादित बिन्दुओं पर अपनी स्पष्ट राय/अभिमत के संबंध मे पक्षकारों के अभिभाषकगण को अवगत कराते हुए उन्हें पक्षकारों के मध्य समझौता कराने के लिये प्रेरित/प्रोत्साहित किया जाये। इस प्रकार लोक अदालत में समझौते के द्वारा प्रकरणों के निस्तारण मे सफलता मिल सकेगी।

लोक अदालतों के आयोजन मे आने वाली कठिनाईयों एवं ऐसी कठिनाईयों के निराकरण हेतु सुझावों से राजस्व मण्डल को अवगत कराया जावे ताकि लोक अदालतों को अधिक से अधिक व्यावहारिक व सफल बनाने के मार्गदर्शक बिन्दुओं मे समय समय पर संशोधन किया जा सके।

यह अपेक्षित है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका का अनुसरण करते हुए समस्त सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी लोक अदालतों का आयोजन सितम्बर माह के चतुर्थ सोमवार से प्रारम्भ कर देगें।

लोक अदालत द्वारा अधिकारीवार राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा जिला कलक्टर द्वारा प्रति माह आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जायेगी तथा इसकी प्रगति की सूचना राजस्व मण्डल को जिला कलक्टर द्वारा प्रति माह प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र मे भेजी जावेगी।

निबन्धक,<br>
राजस्व मण्डल राजस्थान,<br>
अजमेर